

**मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार

भोपाल दिनांक 13 मार्च 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में जमा राशियों पर ब्याज की दर।


...0...

राज्य शासन निम्नांकित निधियों में जमा राशियों पर दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक निम्नानुसार ब्याज दर निर्धारित करता है :-

सामान्य भविष्य निधि (मध्य प्रदेश)	
प्रथम त्रैमास (01/04/2016 से 30/06/2016)	8.1 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास (01/07/2016 से 30/09/2016)	8.1 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास (01/10/2016 से 31/12/2016)	8.0 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास (01/01/2017 से 31/03/2017)	8.0 प्रतिशत
अंशदायी भविष्य निधि (मध्यप्रदेश)	
प्रथम त्रैमास (01/04/2016 से 30/06/2016)	8.1 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास (01/07/2016 से 30/09/2016)	8.1 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास (01/10/2016 से 31/12/2016)	8.0 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास (01/01/2017 से 31/03/2017)	8.0 प्रतिशत
पटवारी विशेष भविष्य निधि (मध्यप्रदेश)	
प्रथम त्रैमास (01/04/2016 से 30/06/2016)	8.1 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास (01/07/2016 से 30/09/2016)	8.1 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास (01/10/2016 से 31/12/2016)	8.0 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास (01/01/2017 से 31/03/2017)	8.0 प्रतिशत
मध्यभारत जीवन बीमा निधि (मध्यप्रदेश)	
प्रथम त्रैमास (01/04/2016 से 30/06/2016)	8.1 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास (01/07/2016 से 30/09/2016)	8.1 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास (01/10/2016 से 31/12/2016)	8.0 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास (01/01/2017 से 31/03/2017)	8.0 प्रतिशत
विभागीय भविष्य निधि (मध्यप्रदेश)	
प्रथम त्रैमास (01/04/2016 से 30/06/2016)	8.1 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास (01/07/2016 से 30/09/2016)	8.1 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास (01/10/2016 से 31/12/2016)	8.0 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास (01/01/2017 से 31/03/2017)	8.0 प्रतिशत

2/- सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में जमा राशियों पर जो ब्याज दर घोषित की गई है वही दरें विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर भी लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार

भोपाल दिनांक 13 मार्च 2017

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज्यभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
04. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
05. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
06. सचिव लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
07. निज सचिव/निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
08. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार(लेखा और हकदारी/आडिट)-1 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/मध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
20. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/ संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग